


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज यश गहलोट बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 141/2023</p>	<p>न.व. तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>08.08.23</p>	<p>अपीलार्थी यश गहलोट निवासी हलाव का बेरा, नयापुरा, मंडोर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2023 में आदेश दिनांक 13.02.2023 के मुताबिक पटवारी हलका मंडोर द्वितीय द्वारा न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर (प्रकरण संख्या 29/2023 अन्तर्गत धारा 91, राज. भू राजस्व अधि. 1956) में प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण टी.पी. रिपोर्ट की जानकारी और नकल (गोकुल जी की प्याउ से सुरपुरा नागौर बाईपास तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य), से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	<p>न.व. तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>